

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलवी/25/8617

दिनांक: 07.08.2025

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक: प. 2(क)/एसीवी/जाँच/डीएलवी/2025/595 दिनांक 05.08.2025 द्वारा श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड, वार्ड नं0 40 को अध्यक्ष एवं सदस्य पद नगर परिषद झालावाड जिला (झालावाड) के पद से निलंबित किया गया है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रदीप सिंह राजावत वार्ड नं0 5, उपसभापति, नगर परिषद झालावाड जिला (झालावाड) को सभापति के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

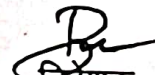
राज्यपाल की आज्ञा से,


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलवी/25/8618-8629
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 07.08.2025

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर झालावाड।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. उपखण्ड अधिकारी, झालावाड।
9. आयुक्त नगर परिषद झालावाड।
10. श्री प्रदीप सिंह राजावत सभापति नगर परिषद झालावाड।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक